भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 6400
गुरुवार, 2 अप्रैल, 2026/12 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अतिरिक्त विमानपत्तनों का विकास

6400. डॉ. लता वानखेड़ेः
श्री राजेश वर्माः
श्री अरुण भारतीः
श्रीमती शांभवीः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अगले पाँच वर्षों के दौरान पचास अतिरिक्त विमानपत्तनों के विकास का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो उनके स्थान, वित्तपोषण के स्रोत तथा क्रियान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) संपर्क, क्षेत्रीय विकास एवं आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के संदर्भ में इस विस्तार अभियान का ब्यौरा एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या विमानपत्तनों की अवसंरचना के विकास से उत्पन्न संभावित अचल संपत्ति, रोजगार तथा औद्योगिक अवसरों का, विशेषकर मध्य प्रदेश में, कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता तथा हितधारकों के परामर्श को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय प्रस्तावित हैं; और

(ङ) विमानपत्तन विकास कार्यक्रम का पर्यटन, संभार तंत्र तथा क्षेत्रीय निवेश पर विशेषकर सागर, खगड़िया, जमुई, समस्तीपुर और राजमहेंद्रवरम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में क्या अपेक्षित प्रभाव है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): सरकार हवाई यात्रा हेतु लोगों की निरंतर बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक हवाईअड्डों को विकसित और प्रचालित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। इस संबंध में, सरकार ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे विकसित करने, क्षेत्रीय संर्पक योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उडान) के माध्यम से मौजूदा हवाईपट्टियों का विकास करने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा हवाईअड्डे के विकास की पहल करने के बहुआयामी दृष्टिकोण का पालन कर रही है। इसके परिणामस्वरूप, देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों/ हेलीपैड/वाटर एयरोड्रोम सहित कार्यशील हवाईअड्डों की कुल संख्या बढ़कर 165 (28.02.2026 तक) हो गई है। आरसीएस-उड़ान योजना को बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

सरकार ने अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए 'संशोधित उड़ान योजना' भी शुरू की है।

हवाईअड्डा प्रचालक / विकासकर्ता, संबंधित स्टेकहोल्डरों से परामर्श करके, इस संबंध में विद्यमान विधिक उपबंधों का पालन करते हुए, पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन आदि सहित हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

हवाईअड्डे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर कई गुणा प्रभाव पड़ता है। नागर विमानन क्षेत्र और आर्थिक विकास के बीच संबंध को अच्छी तरह से पहचाना गया है। हवाईअड्डों के विकास से यात्री आवाजाही में वृद्धि, पर्यटन विकास, रोजगार सृजन और भूमि के मूल्य-निर्धारण के सर्किल दरों में वृद्धि के परिणामस्वरुप, संबंधित राज्य में विभिन्न करों / स्टाम्प शुल्क आदि की वसूली में वृद्धि होती है और देश का समग्र विकास होता है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अध्ययन से पता चलता है कि हवाई संपर्क का आर्थिक गुणक 3.25 और रोजगार गुणक 6.1 है।
